

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
76, अरेरा हिल्स, भोपाल

पत्र क्रमांक 311/005/2010

भोपाल, दिनांक 1.8.2016

:: सूचना ::


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रकरणों की प्रस्तुति एवं कार्यवाही हेतु बैठकों के दिन उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 4 के अंतर्गत घोषित किये गये हैं :-

क्र.	जिला फोरम का नाम	बैठक हेतु निर्धारित दिन
1.	भोपाल	प्रत्येक कार्यदिवस
2.	इन्दौर क्र-1	सोमवार से गुरुवार
3.	इन्दौर क्र.-2	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
4.	देवास	बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार
5.	ग्वालियर	सोमवार, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार
6.	मुरैना	बुधवार गुरुवार व शुक्रवार
7.	भिण्ड	बुधवार गुरुवार व शुक्रवार
8.	जबलपुर	सोमवार से शुक्रवार
9.	रीवा	सोमवार से शुक्रवार
10.	सीधी	गुरुवार व शुक्रवार
11.	अनूपपुर	सोमवार
12.	शहडोल	मंगलवार
13.	उज्जैन	सोमवार से शुक्रवार
14.	मंदसौर	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
15.	नीमच	गुरुवार व शुक्रवार
16.	रतलाम	बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार
17.	सागर	सोमवार, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार
18.	दमोह	मंगलवार, बुधवार व गुरुवार
19.	टीकमगढ़	बुधवार गुरुवार व शुक्रवार
20.	होशंगाबाद	सोमवार से शुक्रवार
21.	बैतूल	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
22.	गुना	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
23.	शाजापुर	गुरुवार व शुक्रवार
24.	राजगढ़	बुधवार व गुरुवार
25.	अशोकनगर	शनिवार
26.	धार	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
27.	बड़वानी	बुधवार व गुरुवार
28.	मण्डलेश्वर	गुरुवार व शुक्रवार
29.	झाबुआ	मंगलवार व बुधवार
30.	सतना	सोमवार से शुक्रवार
31.	पन्ना	गुरुवार व शुक्रवार

30.7.16

32.	छतरपुर	मंगलवार व बुधवार
33.	खण्डवा	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
34.	बुरहानपुर	बुधवार व गुरुवार
35.	हरदा	गुरुवार व शुक्रवार
36.	शिवपुरी	सोमवार से शुक्रवार
37.	श्योंपुर	मंगलवार व बुधवार
38.	दतिया	बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार
39.	कटनी	सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार
40.	मण्डला	बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार
41.	उमरिया	गुरुवार
42.	डिण्डौरी	शुक्रवार
43.	छिन्दवाड़ा	सोमवार से गुरुवार
44.	नरसिंहपुर	गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार
45.	सिवनी	बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार
46.	बालाघाट	बुधवार व गुरुवार
47.	विदिशा	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
48.	रायसेन	बुधवार व गुरुवार
49.	सीहोर	बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार

निर्धारित बैठक दिवसों में शासकीय अवकाश के दिन शामिल नहीं होंगे एवं अध्यक्ष की बैठक में उपस्थिति नहीं होने पर सदस्य/सदस्यों द्वारा बैठकों का आयोजन कर विधि अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।


(अवधेश कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार

म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतिलोषण आयोग, भोपाल.